फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री पर्वतसिंह पिता श्री नाहर सिंह राठौड़ नि. मांडावाडा पो. पडासली तहसील राजसमंद

— अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, राजसमंद **— प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा—अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 84/2022**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 05.12.2022 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी उपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर, राजसमंद से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, अति0 जिला कलक्टर, राजसमंद वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया । लोक सूचना अधिकारी, अति0 जिला कलक्टर, राजसमंद द्वारा जरिये पत्रांकः एफ.1( )सू.अ.,05/2022/955—956 दिनांक 22.11.2022 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना का संबंध सम्पर्क अनुभाग से होने से प्रभारी अधिकारी, संपर्क अनुभाग को पत्रांकः 843 दिनांक 17.10.2022 को प्रेषित किया गया। सम्पर्क अनुभाग में जो सूचना अभिलेख पर उपलब्ध थी वह प्रभारी अधिकारी, संपर्क अनुभाग द्वारा उपलब्ध कराये जाने के उपरांत उक्त सूचना जिसके कुल 02 पृष्ठ होने से नियमानुसार 02/— रूपये प्रति पृष्ठ के हिसाब से कुल राशि 04/— रूपये कार्यालय में जमा कराने हेतु प्रार्थी अपीलार्थी को पत्रांकः प.1( )सू.अ.05/2022/887 दिनांक 21.10.2022 से सूचित किया गया था। अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना की राशि जमा नहीं कराई जाने से सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। प्रार्थी अपीलार्थी नियमानुसार वांछित राशि जमा करा दे तो वांछित सूचना प्रार्थी/अपीलार्थी को उपलब्ध कराई जा सकेगी, जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी दिनांक 22.11.2022 को पृष्ठाकिंत की गई है। लोक सूचना अधिकारी, अति0 जिला कलक्टर, राजसमंद की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर, राजसमंद की रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत चाही गई वांछित सूचना की नियमानुसार वांछित राशि रूपये 04/— जमा नही कराई। अतः प्रार्थी/अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार वांछित राशि जमा कराकर वांछित सूचना प्राप्त करें। उक्त प्रकरण इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी, अति0 जिला कलक्टर, राजसमंद को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** **लोक सूचना अपीलीय अधिकारी** **(जिला कलक्टर) राजसमंद**	न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)